

05/11/21 कोजियट्टूर जिले के जज हुकम

उपरोक्त जिले के जज हुकम की वकालत की जा रही है

जिसका तात्पर्य है कि हाल में नंबर 415/19 के

जज हुकम की तामील में नंबर 1/2 का

आदेश नंबर 1365/0.10, 1684/0.38, 1679/0.35, 1680/0.35,

1681/0.66 के अंतर्गत 32/0.08, 33/0.09, 36/0.14,

40/0.11 के अंतर्गत 1/8 का 1683/1.14 के अंतर्गत 2/7/0.47,

301/0.27, 384/0.13, 506/0.24, 558/0.21, 612/0.18,

766/0.14, 1020/0.78, 1108/1.23, 1118/0.47, 1123/0.43,

1135/0.15, 1205/0.52, 1306/0.40, 1368/0.91,

1416/0.38, 1418/0.43, 1419/0.21, 1517/0.39, 1682/0.48,

1712/1.02 के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

जज हुकम के अंतर्गत जज हुकम के अंतर्गत

248  
सहायक कलक्टर  
मुण्डाक (जिले) राज.





१५/१३, नकल बैपनामा दिनांक ०५/६/१५ १५/१३, नकल  
 बैपनामा दिनांक २०/११/१५ १५/१४, नकल बैपनामा दिनांक  
 ०३/६/१५ १५/१५, नकल बैपनामा दिनांक ०५/१२/१३ १५/१६,  
 नकल बैपनामा दिनांक १६/११/१२ १५/१७ नकल बैपनामा  
 दिनांक २५/११/१३ १५/१८, नकल बैपनामा दिनांक ०३/११/१३  
 १५/१९ एवं नकल बैपनामा दिनांक २९/३/१६ १५/२०

पेशाखिफ एवं कौलिक साइप स्वरूप लखवीर Pw-1 तथा  
 लखवीर Pw-2 पेशाखिफ का प्रकृतिय परामर्श है।

वकीलवादी की कृतक अन्वेषण पुनः १३/१३ एवं  
 लखवीर पेशाखिफ का वाद पर क विमानो को है हातें हुए

आधिकारण किपा कि विवाहित आजीपान वादी, प्रमेाही सं०

1,2 एवं न (मि की प्रमेाही सं०) को लखवादी अन्वेषण का प्रत की आजीपान  
 है जो वादी के दादा रामजीलाल को कोसगी पर जेपे विराता

प्राप्त हुई व लखी वादीनाम कहेक क विमान व रात्री लखी एवं  
 लखान एक्कमकोकर प्राप्त है वादी लखी लखवादी का प्रत की

क विमान लखी है एवं लखी आजीपान वादीनाम लखवादी का प्रत  
 का प्रत की लखी का प्रत लखवादी है। प्रमेाही सं० १ उक्त लखवादी

आजीपान के लखी विमान का विमान सं० ५१५ व सं०  
 १११ लखवादी एवं सं० १६७९, १६८०, १६८१ वादी का प्रत

५१५ (पुलवहं गुंडावा की १/२ हिस्से आजीपान की है इन प्रत  
 सं० उक्त लखी लखी आजीपान की उक्त लखी लखवादी का प्रत

हुक क अन्वेषण लखी लखी वादी के विमान सं० ५१५ अन्वेषण  
 लखवादी आजीपान का के का लखवादी लखी वादी वादी

आजीपान का प्रमेाही सं० १ लखी लखवादी का प्रमेाही सं० २  
 लखी लखवादी लखी लखवादी की है एवं लखी लखी लखवादी

लखवादी लखी लखवादी लखी लखवादी लखी लखवादी लखी लखवादी

लखवादी लखी लखवादी लखी लखवादी लखी लखवादी लखी लखवादी

५१६  
 सहायक जज  
 मुण्डावर (अलवर) राज०



हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
हुक्म

नया हुक्म पत्र डिक्री कारी हो प्रपवली विषित  
हुका हो (कमाल ककरी) का ड लकी लका  
जिला लेख मया हो हुकापा मया २५६

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज०

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर  
पीठासीन अधिकारी:- रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.- 15/2021

दायरा दिनांक :-12.02.2021

निर्णय दिनांक :- 05.04.2021

1. सत्यवीर पुत्र श्री राधाकृष्ण जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..... वादी

बनाम

1. राधाकृष्ण पुत्र श्री रामजीलाल
2. धर्मवीर पुत्र श्री राधाकृष्ण जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. लैण्ड होल्डर जग्गे श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय P.N.B. हरसौली।

..... प्रतिवादीगण

6. निर्मला
7. पूनम
8. तस्वीर पुत्रीयान श्री राधाकृष्ण
9. जयवीर पुत्र श्री राधाकृष्ण जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... तरतीबी प्रतिवादीगण


दावा ईशतकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89, 188  
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

---: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री बस्तीराम यादव, श्री नरेन्द्र मांडेया एडवोकेट उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.04.2021 को श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

विवादित आराजीयात् के बाबत वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से पूर्ण रूपेण साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल खसरा नम्बर 415/1.19 है0 वाके ग्राम सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग में से एवं आराजी खसरा नम्बर 1365/0.10, 1684/0.38, 1679/0.35, 1680/0.35, 1681/0.66 है0. का 1/2 भाग में से व आराजी खसरा नम्बर 32/0.08, 33/0.09, 36/0.14, 40/0.11 है0 के 1/8 भाग में से, 1683/1.14 है0 के 3/4 भाग में से, 277/0.47, 301/0.27, 384/0.13, 506/0.24, 558/0.21, 612/0.18, 766/0.14, 1020/0.78, 1108/1.23, 1118/0.47, 1123/0.43, 1135/0.15, 1205/0.52, 1306/0.40, 1368/0.91, 1416/0.38, 1418/0.43, 1419/0.21, 1517/0.39, 1682/0.48, 1712/1.02 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर के, सालिम भाग में से वादी, प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायात 9 को 1/7, 1/7, 1/7 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा हाल राजस्व रिकोर्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2, तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 लगायात 9 की हद तक प्रतिवादी सं0 1 के नाम हो रहे इन्द्राज को कमलजन किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद किया जावे एवं बैंक ऋण राशि की स्थिति में उभय पक्षकारान की मिलने वाले हिस्से, रकबे आराजी में से ही प्रतिवादी संख्या एक की हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलीनय रहेगी।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(रामसिंह राजावत)  
सहायक कलक्टर  
मुण्डावर जिला अलवर राज0  
सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज0